भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. 3325
दिनांक 9 दिसम्बर, 2019

एलपीजी गैस स लंडर वस्फोट

3325. डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री अजय मश्र टेनीः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या देश के व भन्न हिस्सों में एलपीजी गैस स लंडर वस्फोट की घटनाएं हुई हैं जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय कए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिहार में वशेष कर जिला गोपालगंज में उन लोगों को कोई मुआवजा दिया है जो गैस स लंडर वस्फोट से मारे गए थे और यदि हां, तो उन पर कतनी रा श व्यय की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने एलपीजी स लंडरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने/कम करने के लए तथा इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) : तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है क पछले 3 वर्षों में ऐसी कोई एलपीजी दुर्घटना नहीं हुई है जिसमें कसी भी ओएमसीज के ग्राहकों का अपने आप से कोई सलंडर फटा हो। तथा प, ऐसे मामले दर्ज कए गए हैं जहां अन्य स्रोतों/कारणों के चलते आग में एलपीजी स लंडर (स लंडरों के) फंस जाने और तत्पश्चात आग से पैदा होने वाली अत्य धक बाहरी ऊष्मा के कारण उनमें वस्फोट हो गया। पछले तीन वर्षों के दौरान एलपीजी दुर्घटनाओं, इनमें मरने वालों की संख्या और ओएमसीज द्वारा एलपीजी ग्राहकों को दी गई मुआवजे की रा श का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या जहां एलपीजी आग लगने का प्रमुख कारण रहा	मरने वालों की संख्या	मुआवजे की रा श (लाख रुपए में)
2017-18	1151	292	2344.44
2018-19	983	254	1026.59
2019-20 (सतम्बर तक)	435	92	5.98

(ख) : ओएमसीज ने बताया है क 2017-18 से सतम्बर, 2019 के दौरान बिहार में एलपीजी दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के लए 1.80 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए जिसमें गोपालगंज जिले में दिया गया 6.00 लाख रुपए का मुआवजा शा मल है।

(ग) : एलपीजी स लंडरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लए ओएमसीज द्वारा उठाए गए कदमों में, भारतीय मानक वनिर्देशों के अनुसार एलपीजी स लंडरों के वनिर्माण, पेट्रो लयम और वस्फोटक सुरक्षा संगठन के मानकों के अनुसार समय समय पर स लंडरों की जांच, भरण संयंत्रों पर बहु गुणवत्ता नियंत्रण जांच, स लंडरों की सुपुर्दगी-पूर्व जांच, एलपीजी संस्थापन की अनिवार्य जांच, सुरक्षा होज पाइप का अनिवार्य उपयोग, सुरक्षा पर्चों का वतरण तथा समय समय पर ग्राहक शक्षा क्लिनिकों का आयोजन कया जाना शा मल है।

****